UPBB010006732023

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०–01, बाराबंकी।

उपस्थितः विनय कुमार सिंह–III (उच्चतर न्यायिक सेवा)
JO Code-UP 6068

सत्र वाद संख्या–127/2023

उ0प्र0 राज्य...अभियोजन पक्ष।

बनाम

राम करन उर्फ राम आधार (पति), पुत्र–स्व0विपति उर्फ महिपति, निवासी–ग्राम रसूलपुर कलॉ, थाना–दरियाबाद, जिला–बाराबंकी, उत्तर प्रदेश, भारत।

..................अभियुक्त।

अपराध संख्या–130/2022
अन्तर्गत धारा–498ए, 306 भा०दं०सं०
थाना–दरियाबाद, जिला–बाराबंकी।

निर्णय

1. सम्बन्धित थाना पुलिस–दरियाबाद जिला–बाराबंकी द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–130/2022, अन्तर्गत धारा– 498ए, 306 भारतीय दंड संहिता में अभियुक्त राम करन उर्फ राम आधार के विरूद्ध आरोपपत्र प्रस्तुत करते हुये अभियुक्त का विचारण कर उसे दण्डित किये जाने की याचना की गयी है।

2. मामला सत्र परीक्षणीय होने के कारण दिनांक 06.01.2023 को सत्र न्यायालय को उपार्पित किये जाने के उपरान्त सत्र वाद संख्या–127/2023 में अभियुक्त राम करन उर्फ राम आधार को आरोपित कर विचारण किया जा रहा है।

3. संक्षेप मे अभियोजन कथानक के अनुसार, प्रार्थी रामसनेही द्वारा दिनांक 25.04.2022 को पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी को इस आशय का

Digitally signed by VINAY KUMAR SINGH
Date: 2026.07.17 16:27:01 IST
Reason: Document Owner
Location: ADJ, Court No.01,Barabanki.

प्रार्थनापत्र प्रदर्श क–1 दिया गया कि, 'प्रार्थी अपनी पुत्री सुनदेवी की शादी लगभग 10 वर्ष पूर्व रामकरन दर्फ रामअधार पुत्र स्व० वीपति निवासी ग्राम रसूलपुरकलां थाना दरियाबाद, जिला बाराबंकी के साथ किया था, जो दोनों के नुत्फे से दो पुत्रों का जन्म हुआ जिनके नाम कमशः लवकुश वर्ष, नितिन लगभग डेढ़ साल पैदा हुये। विपक्षीगण रामकरन उर्फ रामअधार (पति), रामबरन (जेठ) व सुशीला देवी (जेठानी) ने कम दहेज का ताना को लेकर मारते पीटते तथा प्रताड़ित करते थे, और कहते थे कि जो अपने घर से जेवरात व उपहार लेकर आायी हो उसे हमें दे दों। आज से लगभग 10 दिन पूर्व प्रार्थी की पुत्री को काफी मारा पीटा था प्रार्थी की पुत्री सुनदेवी ने फोन करके अपने भाई को बुलाया था और विदा करा ले गया था। तभी प्रार्थी के पिता ने दूसरे दिन समझा बुझाकर विदा कर दिया था कहा था कि धीरे–2 सब ठीक हो जायेगा। उसी समय सुनदेवी का पति रामकरन उर्फ रामअधार काम के सिलसिले से बाहर चला गया था। दिनांक 21–04–2022 की रात को प्रार्थी की पुत्री सुनदेवी, रामबरन (जेठ), सुशीला देवी (जेठानी) व परिवार की दो अन्य महिलायें ने प्रार्थी की पुत्री को काफी मारा पीटा व रस्सी का फन्दा गले में डाल कर हत्या कर दी, दूसरे दिन सुबह 6 बजे प्रार्थी को एक चन्दन नाम के लड़के से प्रार्थी को सूचना मिली थी तो प्रार्थी सुनदेवी की ससुराल ग्राम रसूलकलां पहुंचा तो वहां देखा कि प्रार्थी की पुत्री सुनदेवी की लाश घर के अन्दर रस्सी से लटक रही थी, और मौके पर पुलिस आ गयी थी और पुलिस के सामने ही लाश को उतारा गया। प्रार्थी की पुत्री के गल्ले में रस्सी के निशान थें, प्रार्थी की पुत्री सुनदेवी का पुत्र लवकुश व नितिन को अपने घर वापस ले आया। प्रार्थी का नाती लवकुश ने बताया कि मम्मी को काफी मारा पीटा व गले में रस्सी का फंदा डाल कर मार डाला। प्रार्थी ने घटना की रिपोर्ट सम्बन्धित थाना दरियाबाद में दिनांक 22–04–2022 को प्रार्थना पत्र दिया था परन्तु कोई सुनवाई नही हुई और न ही रिपोर्ट दर्ज की गयी। प्रार्थी की पुत्री का पोस्टमार्टम कराया गया। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को संज्ञान में लेते हुए प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज कर विपक्षीगणों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाये।'

4. वादी के प्रार्थनापत्र प्रदर्श क–1 पर, दिनांक 26.04.2022 को समय 16:01 बजे थाना–दरियाबाद में, अभियुक्तगण राम करन उर्फ राम आधार (पति), राम बरन (जेठ), सुशीला (जेठानी) व परिवार की दो अन्य महिलाओं के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–2 अपराध संख्या–130/2022, अंतर्गत धारा–302, 498ए भारतीय दंड संहिता मे दर्ज किया गया। मुकदमा कायमी का इन्द्राज नकल रपट संख्या 41 दिनांक– 26.04.2022 को समय 16:01 बजे किया गया जो प्रदर्श क–3 है। विवेचक द्वारा दौरान विवेचना घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी प्रदर्श क–13 तैयार किया गया। वादी मुकदमा, पंचायतनामा व अन्य स्वतंत्र गवाहान के बयान अंकित किये गये। तमामी विवेचना के फलस्वरूप नामित आरोपी राम बरन (जेठ) व सुशीला देवी (जेठानी) की अपराध मे संलिप्तता ना पाये जाने के कारण उनके नाम विवेचना से पृथक किये गये। पर्याप्त साक्ष्य पाते हुये अभियुक्त राम करन उर्फ राम आधार (पति) के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 498ए व 306 भा0दं0सं0 में आरोपपत्र अपने हस्ताक्षर में प्रेषित किया जिसपर प्रदर्श क–12 डाला गया।

5. अभियुक्त राम करन उर्फ राम आधार (पति) के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 498ए व 306 भा0दं0सं0 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का आरोप दिनांक 06.04.2023 को विरचित किया गया। अभियुक्त द्वारा आरोपो से इन्कार कर विचारण की याचना की।

6. अभियोजन द्वारा अपने कथानक को साबित करने के लिये मौखिक साक्ष्य के रूप मे पी०डब्लू–1 वादी मुकदमा रामसनेही (मृतका का पिता), पी०डब्लू–2 मुन्नी देवी (मृतका की माता), पी०डब्लू–3 हे0कां0 बैजनाथ, पी०डब्लू–4 अमित कुमार(मृतका का भाई), पी०डब्लू–5 उपनिरीक्षक अजय कुमार पाण्डेय, पी०डब्लू–6 डा0 सुबीर कुमार रोहतगी, पी०डब्लू–7 निरीक्षक सुब्बा चौहान व पी0डब्लू–8 उपनिरीक्षक दुर्गा प्रसाद शुक्ल को परीक्षित कराया गया है।

7. अभियोजन के दस्तावेजी साक्ष्य जिनपर प्रदर्श अंकित किये गये निम्नवत् हैं–

तहरीर	प्रदर्श क–1,

प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श क–2,
कायमी जी0डी0	प्रदर्श क–3,
पंचायतनामा	प्रदर्श क–4,
नमूना सील	प्रदर्श क–5,
चिट्ठी सी0एम0ओ0	प्रदर्श क–6,
चिट्ठी आर0आई0	प्रदर्श क–7,
शव चालान	प्रदर्श क–8,
फोटोनाश	प्रदर्श क–9,
शव विच्छेदन आख्या	प्रदर्श क–10,
गिरफ्तारी प्रपत्र	प्रदर्श क–11,
आरोपपत्र	प्रदर्श क–12,
नक्शा नजरी	प्रदर्श क–13,

8. अभियुक्त राम करन उर्फ राम आधार का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 दिनांक 05.06.2026 को अंकित किया गया। अभियुक्त द्वारा मृतका सुनदेवी से विवाह होना स्वीकार किया शेष अभियोजन कथानक को असत्य बताया। उसके विरूद्ध लगाये गये आरोप को गलत बताया। पी0डब्लू–1 वादी रामसनेही द्वारा लोगो के बहकावे मे गलत तथ्यों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया जाना व गलत बयान दिया जाना बताया। पी0डब्लू–2 मुन्नी देवी द्वारा असत्य बयान देना बताया। शेष साक्षियों द्वारा औपचारिक बयान दिया जाना बताया। गवाहान द्वारा लोगो के बहकावे में व सरकारी ड्यिूटी निभाने हेतु साक्ष्य देना, मुकदमा फर्जी व लोगो के बहकावे में रंजिशन चलना बताया। सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया गया। अभियुक्त द्वारा यह कहा गया कि, ''मृतका के श्रवण कुमार नाम के व्यक्ति से प्रेम सम्बन्ध था। मृतका के सी0डी0आर0 की लोकेशन की गहनता से जॉच नहीं की गयी तथा प्रार्थी कथित घटना के समय अन्य प्रदेश में था और मृतका से बातचीत नही की थी। गलत तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष विवेचना न कर गलत आरोपपत्र प्रेषित किया गया।''

9.1 **पी0डब्लू0–6** डा0 सुबीर कुमार रोहतगी ने अपनी **मुख्य–परीक्षा** में कथन किया कि,

> ''दिनांक 22.04.2022 को मैं सी०एच०सी० त्रिवेदीगंज में चिकित्साधिकारी के पद पर तैनात

था। इस दिनांक को मेरी ड्यूटी शव विच्छेदन परीक्षण हेतु शव विच्छेदन गृह में रोस्टर के अनुसार लगी हुई थी। इस दिनांक को थाना दरियाबाद के आरक्षी दीपक यादव व महिला कां०रुबी मिश्रा के द्वारा सर्व सील मुहर व आवश्यक प्रपत्रों के साथ मृतका सुनदेवी पत्नी रामकरन निवासी ग्राम रसूलपुर कलां थाना दरियाबाद जिला बाराबंकी का शव, शव विच्छेदन गृह में समय 02:56 P.M. पर प्राप्त कराया गया था। जिसकी मरणोत्तर परीक्षण मेरे द्वारा समय 03:20P.M. पर दिनांक 22.04.2022 को प्रारम्भ की गयी और समय 04:15 P.M. शव का अन्वेषण समाप्त किया गया। मृतका के शरीर के ऊपरी व निचले भाग में अकड़न मौजूद थी। मृतका की पीठ पर जो भी नीचे का भाग था, उस पर मरणोत्तर नीलभ मौजूद था। मृतका की आंखें बन्द थी और मुहं आधा खुला हुआ था व उसमें छाग मौजूद था। मृतका के चेहरे पर, होठ पर, नाखून पर नीलापन मौजूद था तथा गुदा में मल मौजूद था।

मृत्यु पूर्व चोटें मृतका के गर्दन में एक तिरछा लाइगेचर मार्क मौजूद था जिसका आकार 30cmX01.00cm था। जो गर्दन में थाइराइड कार्टलेज के सामने से ऊपर और पीछे की तरफ जा रहा था। गर्दन के बायीं तरफ 02cm का गैप था। लाइगेचर मार्क बायें कान से 02.50cm व दाहिनें से 06cm नीचे की ओर मौजूद था। लाइगेचर मार्क में पीलापन व सख्त व सूखापन था। इस लाइगेचर मार्क को खोलने पर लाइगेचर मार्क के नीचे की त्वचा शुष्क, सफेद,

सख्त एवं चमकदार थी।

शव का आन्तरिक परीक्षण–मृतका के सभी आन्तरिक अंग कनजेस्टेड पाये गये। मस्तिष्क का वजन 1045.40gm, दाहिनें फेफड़े का वजन 378gm व बायें का वजन 347.60gm, हृदय का वजन 172.40gm व दायीं तरफ भरा हुआ व बायीं तरफ खाली था। आमाशय में 50ml तरल पदार्थ मौजूद था। छोटी आंत में पचा हुआ भोजन व गैसें मौजूद थी। बड़ी आंत में मल व गैसें मौजूद थी। यकृत का वजन पिताशय सहित 1293.20gm था। पिताशय आधा भरा हुआ था। प्लीहा का वजन 143gm था। मूत्राशय आधा भरा हुआ था। दाहिनीं किडनी का वजन 82gm व बायीं किडनी का वजन 90.60gm था। गर्भाश्य में गर्भस्थ होने के कोई लक्षण मौजूद नहीं थे। मृतका की मृत्यु आधा से एक दिन पूर्व की होगी। मृतका की मृत्यु श्वासावरोध व मृत्यु पूर्व हैंगिंग से होने प्रतीत होती है। परीक्षण के समय वीडियो रिकार्डिंग की कैसेट व रिकार्डिंग को लिफाफे में सील कर सम्बन्धित को प्राप्त करा दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कागज सं०–अ31 लगायत अ38 शामिल पत्रावली है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर बने अपने हस्ताक्षर की गवाह ने शिनाख्त की। जिस पर प्रदर्श क 10 डाला गया।

9.2 बचाव पक्ष की ओर से की गयी **जिरह** में साक्षी ने कथन किया है कि–

''मृतका के शरीर पर लाइगेचर मार्क के अलावा कोई और चोट नहीं थी। पोस्टमार्टम की वीडियो रिर्काडिंग की सी०डी० मैनें पुलिस को दी थी

> किन्तु यदि पुलिस के द्वारा उक्त कैसेट को केस डायरी का अंश न बनाया गया हो तो मैं इसकी वजह नहीं बता सकता। मृतका के शव की पहचान उसके पिता व भाई ने की थी। मृतका के साथ कितने लोग आये थे मुझे नहीं पता। मृतका के भाई व पिता को पुलिस के माध्यम से पोस्टमार्टम गृह के अन्दर बुलाकर शव की पहचान करायी गयी थी। पोस्टमार्टम लगभग 55 मिनट तक चला।''

10. बचाव पक्ष की ओर से कोई मौखिक अथवा प्रलेखीय साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया।

11. राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को क्रम से सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन किया गया।

निष्कर्ष

12. अभियोजन को अभियुक्त रामकरन उर्फ राम आधार के विरूद्ध लगाये गये आरोपो को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करना है। न्यायालय को यह देखना है कि क्या अभियोजन, अभियुक्त पर लगाये गये आरोपो को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है?

13.1 अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि, अभियोगी रामसनेही ने अपनी पुत्री/मृतका सुनदेवी का विवाह अभियुक्त रामकरन उर्फ रामअधार के साथ ग्राम रसूलपुरकलां, थाना दरियाबाद, जिला बाराबंकी मे घटना से दस वर्ष पूर्व किया था किन्तु अभियुक्त रामकरन उर्फ रामआधार द्वारा अपनी पत्नी/मृतका सुनदेवी से विवाह के बाद से उसकी मृत्यु की तिथि 21.04.2022 के पूर्व तक दहेज की मांग को लेकर उसे मार पीट कर प्रताड़ित किया जिसके कारण मृतका सुनदेवी ने आत्महत्या कर ली। इस प्रकार अभियुक्त दहेज प्रताड़ना एवं दुष्प्रेरण का

अपराधी है। अभियोजन कथानक को तथ्य के साक्षियों द्वारा साबित किया गया है। औपचारिक साक्षीगण द्वारा विवेचना के दौरान एकत्र किये गये साक्ष्य से भी सम्बन्धित आरोप अभियुक्त के विरूद्ध साबित होता है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

13.2 विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष द्वारा अन्य तर्कों, जिनका उल्लेख पश्चात्वर्ती दशा में किया जायेगा, के अतिरिक्त यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त निर्दोष है। उसके द्वारा कोई घटना कारित नही की गयी है। उसे फर्जी फॅसाया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध आरोप को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित नहीं है। तद्नुसार अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने हेतु याचना की गयी है।

14.1 प्रस्तुत मामले में अभियुक्त राम करन उर्फ राम अधार के विरूद्ध दिनांक 06.04.2023 को धारा 498ए, 306 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत यह **आरोप** विरचित किये गये हैं कि–

> '**1**–यह कि अभियोगी रामसनेही ने अपनी पुत्री/मृतका का विवाह अभियुक्त रामकरन उर्फ रामअधार के साथ ग्राम रसूलपुरकलां, थाना दरियाबाद जिला बाराबंकी मे घटना से दस वर्ष पूर्व किया था किन्तु आप पति द्वारा अपनी पत्नी/मृतका से विवाह के बाद से दहेज की मांग को लेकर उसे मार पीट कर प्रताड़ित करते थे। इस प्रकार आपने धारा 498ए भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है, जो मेरे प्रसंज्ञान में है।
>
> **2**–यह कि बाद विवाह आप द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री से उसकी मृत्यु की तिथि 21.04.2022 को अदम समय के पूर्व तक दहेज की मांग को लेकर मार पीट कर प्रताड़ित करते हुये मार कर आत्महत्या का दुष्प्रेरण कारित किया। इस प्रकार आपने धारा 306 भारतीय दंड संहिता के

अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है, जो मेरे प्रसंज्ञान में है।'

14.2 उक्त आरोपो के संदर्भ में **धारा 498ए व 306** भारतीय दंड संहिता के उपबंध का उल्लेख किया जाना समीचीन होगा जोकि इस प्रकार है–

> **'498ए. किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना–** जो कोई, किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।'
>
> **'306. आत्महत्या का दुष्प्रेरण –** यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करे, **तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा,** वह दोनों में से, किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।'

14.3 धारा 306 भा0द0सं0 के अन्तर्गत अभियुक्त की दोषिता को साबित करने कर उसकी दोष सिद्धि के लिये माननीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था, ***Amalendu Pal vs. State of West Bengal (2010) 1 SCC 707*** का उल्लेख किया जाना समीचीन होगा, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि,

> *"Merely on the allegation of harassment without there being any positive action proximate to the time of occurrence on the part of the accused which led or compelled the person to commit suicide, conviction in terms of Section 306 IPC is not sustainable."*

14.4 माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा, ***S.S.Chheena v. Vijay Kumar Mahajan (2010) 12 SCC 190*** में व्यवस्था दी गयी है कि,

> *"… in order to convict a person under Section 306*

> *IPC there has to be a **clear mens rea to commit the offence. It also requires an active act or direct act which led the deceased to commit suicide seeing no option and that act must have been intended to push the deceased into such a position that he committed suicide.**"*

14.5 इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 306 सपठित धारा 107 के अवयव को साबित करने के संदर्भ में, ***Prakash and Ors. v. State of Maharashtra and Anr., 2024 SCC onLine SC 3835*** में यह व्यवस्था दी गयी है कि,

> ***"14.** Section 306 read with Section 107 of IPC, has been interpreted, time and again, and its principles are well-established. **To attract the offence of abetment to suicide, it is important to establish proof of direct or indirect acts of instigation or incitement of suicide by the accused, which must be in close proximity to the commission of suicide by the deceased. Such instigation or incitement should reveal a clear mens rea to abet the commission of suicide and should put the victim in such a position that he/she would have no other option but to commit suicide**.*
>
> ***15.** The law on abetment has been crystallised by a plethora of decisions of this Court. Abetment involves a mental process of instigating or intentionally aiding another person to do a particular thing. To bring a charge under Section 306 of the IPC, the act of abetment would require the positive act of instigating or intentionally aiding another person to commit suicide. Without such mens rea on the part of the accused person being apparent from the face of the record, a charge under the aforesaid Section cannot be sustained. Abetment also requires an active act, direct or indirect, on the part of the accused person which left the deceased with no other option but to commit suicide."*

14.6 धारा 306 सपठित धारा 107 भा0द0सं0 के आरोप में अभियुक्त के विरूद्ध उसकी दोषिता एवं उसकी दोषसिद्धि को साबित करने के सन्दर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय की अद्यतन विधि व्यवस्था, ***Abhinav Mohan Delkar Versus The State of Maharashtra & Ors.Criminal Appeal Nos.2177-2185 of 2024* निर्णीत दिनांक 18 अगस्त 2025** का उल्लेख किया जाना समीचीन होगा। उक्त निर्णय के पैरा 21, 22 व 23 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि,

> ***21.*** *It was held that abetment involves the mental process of instigating a person or intentionally aiding a person in doing of a thing and without a positive act on the part of the accused, in aiding or instigating or abetting the deceased to commit suicide, a conviction cannot be sustained.*
>
> ***22.*** *What comes out essentially from the various decisions herein before cited is that, even if there is allegation of constant harassment, continued over a long period; to bring in the* ***ingredients of Section 306 read with Section 107, still there has to be a proximate prior act to clearly find that the suicide was the direct consequence of such continuous harassment, the last proximate incident having finally driven the subject to the extreme act of taking one's life.Figuratively, 'the straw that broke the camel's back'; that final event,*** *in a series, that occasioned a larger, sudden impact resulting in the unpredictable act of suicide. What drove the victim to that extreme act, often depends on individual predilections; but whether it is goaded, definitively and demonstrably, by a particular act of another, is the test to find mens rea.* ***Merely because the victim was continuously harassed and at one point, he or she succumbed to the extreme act***

> ***of taking his life cannot by itself result in finding a positive instigation constituting abetment. Mens rea cannot be gleaned merely by what goes on in the mind of the victim.***
>
> ***23. The victim may have felt that there was no alternative or option, but to take his life, because of what another person did or said; which cannot lead to a finding of mens rea and resultant abetment on that other person.*** *What constitutes mens rea is the intention and purpose of the alleged perpetrator as discernible from the conscious acts or words and the attendant circumstances, which in all probability could lead to such an end.* ***The real intention of the accused and whether he intended by his action to at least possibly drive the victim to suicide, is the sure test.*** *Did the thought of goading the victim to suicide occur in the mind of the accused or whether it can be inferred from the facts and circumstances arising in the case, as the true test of mens rea would depend on the facts of each case.* ***The social status, the community setting, the relationship between the parties and other myriad factors would distinguish one case from another.*** *However harsh or severe the harassment, unless there is a conscious deliberate intention, mens rea, to drive another person to suicidal death, there cannot be a finding of abetment under Section 306."*

14.7 इस प्रकार इस न्यायालय को अभियुक्त के विरूद्ध धारा 306 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत लगाये गये उक्त आरोप को प्रस्तुत मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों मे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गयी उक्त विधि व्यवस्थाओं के अनुसरण में देखना होगा कि, **'क्या मृतका की**

आत्महत्या किसी दुष्प्रेरण का परिणाम थी?, क्या वह दुष्प्रेरण अभियुक्त द्वारा दिया गया था? क्या उस दुष्प्रेरण को देने के लिये अभियुक्त की साशय मनः–स्थिति थी? एवं, क्या वह अन्तिम दुष्प्रेरण आत्महत्या की घटना के आसन्न एवं इस प्रकार का था कि मृतका के पास आत्महत्या के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं था?'

धारा 498A एवं 306 भा0दं0सं0 के आरोप एवं उक्त अवधार्य बिन्दु के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण साक्ष्यों का विश्लेषण एवं विवेचनः–

15.1 उक्त सन्दर्भ में 'तहरीर' प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–1 का उल्लेख किया जाना समीचीन होगा जोकि निम्न प्रकार है–

> *''प्रार्थी अपनी पुत्री सुनदेवी की शादी लगभग 10 वर्ष पूर्व रामकरन उर्फ रामअधार पुत्र स्व० वीपति निवासी ग्राम रसूलपुरकलां थाना दरियाबाद, जिला बाराबंकी के साथ किया था, जो, दोनों के नुत्फे से दो पुत्रो का जन्म हुआ जिनके नाम क्रमशः लवकुश 6 वर्ष, नितिन लगभग डेढ़ साल पैदा हुये। विपक्षीगण रामकरन उर्फ रामअधार (पति), रामबरन (जेठ) व सुशीला देवी (जेठानी), ने कम दहेज का ताना को लेकर मारते पीटते तथा प्रताड़ित करते थे, और कहते थें कि जो अपने घर से जेवरात व उपहार लेकर आयी हो उसे हमें दे दों। आज से लगभग 10 दिन पूर्व प्रार्थी की पुत्री को काफी मारा पीटा था प्रार्थी की पुत्री सुनदेवी ने फोन करके अपने भाई को बुलाया था और विदा करा ले गया था। तभी प्रार्थी के पिता ने दूसरे दिन समझा बुझाकर विदा कर दिया था कहा था कि धीरे 2 सब ठीक हो जायेगा। उसी दिन सुनदेवी का पति रामकरन उर्फ रामअधार काम के सिलसिले से बाहर चला गया था। दिनांक 21–04–2022 की रात को प्रार्थी की पुत्री सुनदेवी रामबरन (जेठ), सुशीला देवी (जेठानी) व परिवार की*

दो अन्य महिलायें ने प्रार्थी की पुत्री को काफी मारा पीटा व रस्सी का फन्दा गले में डाल कर हत्या कर दी, दूसरे दिन सुबह 6 बजे प्रार्थी को एक चन्दन नाम के लड़के से प्रार्थी को सूचना मिली थी तो प्रार्थी सुनदेवी की ससुराल ग्राम रसूलपुरकलां पहुचा तो वहां देखा कि प्रार्थी की पुत्री सुनदेवी की लाश घर के अन्दर रस्सी से लटक रही थी, और मौके पर पुलिस आ गयी थी और पुलिस के सामने ही लाश को उतारा गया। प्राथ की पुत्री के गल्ले में रस्सी के निशान थें, प्रार्थी की पुत्री सुनदेवी का पुत्र लवकुश व नितिन को अपने घर वापस ले आया। प्रार्थी का नाती लवकुश ने बताया कि मम्मी को काफी मारा पीटा व गल्ले में रस्सी का फंदा डाल कर मार डाला। प्रार्थी ने घटना की रिपोर्ट सम्बन्धित थाना दरियाबाद में दिनांक 22–04–2022 को प्रार्थना पत्र दिया था परन्तु कोई सुनवाई नही हुई और न ही रिपोर्ट दर्ज की गयी। प्रार्थी की पुत्री का पोस्टमार्टम कराया गया। प्रार्थी श्रीमान जी को न्याय हेतु प्रार्थना पत्र दे रहा है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को संज्ञान में लेते हुए प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज कर विपक्षीगणों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने की कृपा की जावे।''

15.2 इस प्रकार **तहरीर प्रदर्श क–1** से यह स्पष्ट होता है कि, मृतका की शादी अभियुक्त रामकरन से हुए लगभग 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं एवं दोनो के दाम्पत्य सहचर्य से दो पुत्र लवकुश (उम्र 6 वर्ष) एवं नितिन (उम्र डेढ़ वर्ष) का जन्म हुआ। विपक्षीगण रामकरन उर्फ रामआधार (पति), रामबरन (जेठ) व सुशीला देवी (जेठानी) कम दहेज का ताना को लेकर, मारते–पीटते व प्रताड़ित करते थे और कहते थे <u>कि जो अपने घर से जेवरात व उपहार लेकर आयी हो उसे हमें दे दों।</u> प्रार्थनापत्र

दिनांकित 25.04.2022 को दिये जाने से लगभग 10 दिन पूर्व अर्थात् घ टना के लगभग 5–6 दिन पूर्व वादी की पुत्री को मारा पीटा जाना कहा गया है तथा प्रार्थी की पुत्री सुनदेवी मृतका द्वारा फोन करके अपने भाई को बुलाना और अपने भाई द्वारा उसे विदा करा ले जाना कहा गया है तथा विदा कराने के दूसरे दिन समझा बुझा कर मृतका को उसकी ससुराल भेज देना, उस समय मृतका का पति रामकरन उर्फ रामआधार काम के सिलसिले में बाहर चले जाना कहा गया है। दिनांक 21.04.2022 की रात को प्रार्थी की पुत्री सुनदेवी को रामबरन (जेठ), सुशील देवी (जेठानी) एवं परिवार की दो अन्य महिलाओं द्वारा काफी मार पीट कर रस्सी का फन्दा गले में डालकर उसकी हत्या कर देने का कथन अंकित किया गया है। दूसरे दिन घटना की सूचना सुबह 6 बजे चन्दन जोकि रामबन के साले का पुत्र है द्वारा होने, सुनदेवी की लाश घर के अन्दर रस्सी से लटका होना और मौके पर पुलिस आ जाना और पुलिस द्वारा लाश को उतारना कहा गया है। तहरीर में यह भी वर्णित है कि प्रार्थी के नाती लवकुश ने बताया कि मम्मी को काफी मारा पीटा एवं गले में रस्सी का फन्दा डालकर मार डाला। इस प्रकार तहरीर से यह भी स्पष्ट है कि, घटना वाले दिन अभियुक्त रामकरन उर्फ रामआधार घर पर नहीं था एवं मृतका के जेठ रामबरन व जेठानी सुशीला देवी द्वारा दो महिलाओं की मदद से सुनदेवी को काफी मारना पीटना एवं उसके गले में रस्सी का फन्दा डालकर मार डालना कहा गया है।

16.1 प्रस्तुत मामले में साक्षी **पी0डब्लू–1 रामसनेही** द्वारा अपनी **मुख्य–परीक्षा** दिनांकित 10.07.2023 में यह कथन किया गया है कि,

> ''घटना 1 साल से अधिक पूर्व की है। बैशाख का समय था। चन्दन ने आकर सूचना सुबह 6–7 बजे के लगभग दी कि तुम्हारी लड़की अपने ससुराल में खत्म हो गई है जाकर देख लो। तब मेरे साथ मेरी पत्नी, मेरे भतीजे संतोष व अमरेश एवं गांव के अन्य तमाम लोग मेरी बेटी के ससुराल गए। 9–10 बजे के बीच वहां पहुंचे तब

देखा कि लड़की एक बॉस की अलगनी से फंदे में लटकी थी पैर जमीन पर थे व शरीर झुका हुआ था आगे को। ससुरालीजन मौके पर नहीं थे। पड़ोसी लोग थे। हमारे पहुंचने से पहले ही मौके पर पुलिस आ गई थी। लाश पुलिस ने उतारी थी। पंचनामा किया व लाश को मेरे सामने ही सील किया फिर लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। मैं व मेरा भतीजा संतोष व पड़ोसी लालजी भी पोस्टमार्टम हाउस गए थे। पोस्टमार्टम के बाद लाश मैंने प्राप्त की व ले जाकर घर पर दाह संस्कार किया। मेरी मृतका बेटी के दो बच्चे लगभग 5–6 साल के थे। बच्चे मेरे पास पाल रहे हैं। मैंने बेटी की शादी लगभग अब से 10–12 साल पहले की थी। रामकरन के साथ की थी। रसूलपुरकलां दरियाबाद थाना में शादी की थी। मेरी बेटी को दहेज न लाने का ताना देते थे। रामबरन व उनकी पत्नी सुशीला देवी उसे प्रताड़ित करते थे। रामकरन मना नहीं करता था। भाई व भाभी के पक्ष में रहता था। उनके कहे में चलता था। दहेज के लिए मारते पीटते थे। रामबरन व सुशीला मारे पीटे थे। तब मैं बिटिया के फोन करने पर कुछ दिनों के लिए उसे अपने घर लाया। 10–15 दिन बाद 10–15 लोग आए रामबरन व रामकरन तथा सुशील भी आए थे। लड़की को विदा करा कर ले गए कि रामकरन कमा खिला लेगा भेज दो। भेजने के बाद रामकरन को पूना भेज दिए व मेरी बेटी को मार डाले। एक तहरीर थाने पर घटना वाले दिन दी थी। उस पर कार्यवाही नहीं हुई। फिर एस0ओ0 को प्रार्थना पत्र दिया उस पर

मुकदमा लिखा गया। तहरीर प्रदर्श क–1 पर साक्षी ने अपने निशानी अंगूठे की शिनाख्त की। पुलिस ने मेरा बयान लिया था। पर मेरी बात मानने के बजाय कहते थे कि खुद मर गई।''

16.2 बचाव पक्ष द्वारा की गयी **जिरह** में, साक्षी ने मुख्य रूप से यह कथन किया कि,

''मैंने अपनी बिटिया की शादी रामकरन उर्फ रामआधार के साथ लगभग बारह–तेह साल पहले की थी। मेरी बेटी का नाम सुनदेवी है। रामकरन ने हमसे कभी रूपये पैसे की मांग नही की। जब मेरी बेटी मरी थी उस समय रामकरन पूने में मजदूरी के सिलसिले में रह रहे थे। रामकरन व मेरी बिटिया की कोई बातचीत फोन पर होती थी या नही मैं नहीं बता सकता। मेरी पुत्री सुनदेवी की मृत्यु की सूचना हमे रामकरन के साले के लड़के से पता चली थी।...मेरी लड़की के ससुराल वालो ने पुलिस को बुलाया था। मेरे पहुंचने के बाद पुलिस ने मेरी बेटी को फॉसी के फन्दे से उतारा था। रामकरन व उनके भाई रामबरन एक ही घर मे रहते हैं। एक ही कोठरी में दोनो लोग रहते हैं। एक तरफ रामकरन का चूल्हा जलता है दूसरी तरफ रामबरन का चूल्हा जलता है। आने जाने का दरवाजा एक ही है। दो साल पहले से रामबरन व रामकरन का चूल्हा अलग अलग जलता है। दो वर्ष पहले से इन दोनो भाईयों का बटवारा हो गया है। रामकरन की तरफ से मुझे व मेरी बिटिया को कोई तकलीफ नहीं थी। रामकरन थोड़ा बहुत जो कमाते थे उससे मेरी बिटिया खुश थी। मेरी बिटिया को कोई बीमारी नही थी।....प्रार्थनापत्र वकील साहब ने लिखा था। वकील साहब ने प्रार्थनापत्र लिखा था उसपर मैने

> अपना निशानी अंगूठा लगाकर कप्तान साहब को दे दिया था। उसके बाद एक दिन दरोगाजी ने थाने पर बुलाया था। दरोगाजी ने थाने पर हमसे एक कागज पर निशानी अंगूठा लगाया था। ...पुलिस के सामने मैंने डरवश अंगूठा लगा दिया था। .... रामकरन पूना मेरी बेटी व बच्चो की अच्छी परवरिश हो इसलिये पूने कमाने के लए गये थे। रामकरन मेरी बिटिया को कभी किसी बात को लेकर प्रताड़ित नहीं किया था। कागज संख्या अ–20 मे लगे निशानी अंगूठे को गवाह ने देखकर उसकी शिनाख्त की और कहा कि यह प्रार्थनापत्र मैंने बहुत सोच समझकर थाने पर दिया था उसमें जो लिखा है वह बाते सही हैं। प्रार्थनापत्र कागज संख्या अ–15 पर लगा अंगूठा मेरा है या नहीं मै नहीं बता सकता। वकील साहब टाईप करवा कर लाये थे। मैने प्रार्थनापत्र को पढ़ा नहीं था। वकील साहब ने हमको पढ़कर सुनाया भी नहीं था।''

16.3 इस प्रकार साक्षी पी0डब्लू–1 की मुख्य–परीक्षा से यह स्पष्ट है कि, वादी को चन्दन नाम के व्यक्ति से सुबह 6–7 बजे अपनी पुत्री की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुयी। तब वादी अपनी पत्नी एवं भतीजे संतोष व अमरेश एवं गांव के अन्य तमाम लोगों के साथ बेटी की ससुराल 9–10 बजे पहुंचा, वहां उसकी लड़की एक बॉस की अलगनी से फंदे में लटकी थी। उसके पहुंचने से पहले ही मौके पर पुलिस आ गई थी। लाश पुलिस ने उतारी थी। पंचनामा किया गया व लाश को उसके सामने सील किया गया। इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह भी कहा गया है कि, ''मेरी बेटी को दहेज ना लाने का ताना देते थे। <u>रामबरन व उनकी पत्नी सुशीला देवी उसे प्रताडित करते थे।</u> रामकरन मना नहीं करता था। भाई व भाभी के पक्ष में रहता था। उनके कहे में चलता था। दहेज के लिए मारते पीटते थे। <u>रामबरन व सुशीला मारे पीटे थे</u>।......एक तहरीर थाने पर घटना वाले दिन दिया था, उस पर कार्यवाही नहीं हुई।

फिर एस0ओ0 को प्रार्थना पत्र दिया उस पर मुकदमा लिखा गया। तहरीर कागज संख्या ए–15 को देखकर अंगूठा निशान पहचाना जिसपर प्रदर्श क–1 डाला गया। **अभियोजन** द्वारा की गयी **जिरह** में, साक्षी ने मुख्य रूप से यह कथन किया कि,

> ''रामकरन ने हमसे कभी रूपये पैसे की मांग नहीं की। जब मेरी बेटी मरी थी उस समय रामकरन पूने मे मजदूरी के सिलसिले में रह रहे थे।'' ....''मेरी लड़की के ससुरालवालो ने पुलिस को बुलाया था। मेरे पहुंचने के बाद पुलिस ने मेरी बेटी को फॉसी के फन्दे से उतारा था। रामकरन व उनके भाई रामबरन एक ही घर मे रहते हैं। एक तरफ रामकरन का चूल्हा जलता है दूसरी तरफ रामबरन का चूल्हा जल ता है। आने–जाने का एक ही दरवाजा है। दो साल पहले से रामबरन व रामकरन का चूल्हा अलग अलग जलता है। दो वर्ष पहले से इन दोनो भाईयो का बटवारा हो गया है। रामकरन की तरफ से मुझे व मेरी बिटिया का कोई तकलीफ नही थी। रामकरन थोड़ा बहुत जो कमाते थे उससे मेरी बिटिया खुश थी।.......प्रार्थनापत्र वकील साहब ने लिखा था। वकील साहब ने प्रार्थनापत्र लिखा था उसपर मैने अपना निशानी अंगूठा लगाकर कप्तान साहब को दे दिया था।.......रामकरन मेरी बिटिया को कभी किसी बात को लेकर प्रताड़ित नहीं किया था। कागज संख्या अ–20 मे लगे निशानी अंगूठे को गवाह ने देखकर उसकी शिनाख्त की और कहा कि यह प्रार्थनापत्र मैने बहुत सोच समझकर थाने पर दिया था। उसमे जो लिखा है वह बाते सही हैं।.....

प्रार्थनापत्र अ–15 पर लगा अंगूठा मेरा है या नही मै नही बता सकता। वकील साहब टाइप करवा कर लाये थे। मैंने प्रार्थनापत्र को पढ़ा नही था। वकील साहब ने हमको पढ़कर सुनाया भी नहीं था।''

16.4 इस प्रकार साक्षी **पी0डब्लू–1** की **जिरह** से यह साबित होता है कि, अभियुक्त रामकरन द्वारा वादी की पुत्री से अथवा वादी मुकदमा से ना कभी दहेज की मांग की गयी और ना ही उसकी पुत्री सुनदेवी (मृतका) को कभी किसी प्रकार की प्रताड़ना ही दी गयी। घटना के समय भी रामकरन पूना में नौकरी करता था। वह जो कुछ कमाकर लाता था उससे उसकी पुत्री खुश थी। इस साक्षी के साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि इस साक्षी द्वारा दी गयी तहरीर प्रदर्श क–1 को वकील साहब ने लिखा था, उनके द्वारा प्रार्थनापत्र को पढ़कर इस साक्षी को नहीं सुनाया था। इस साक्षी द्वारा मात्र उक्त प्रार्थनापत्र (तहरीर प्रदर्श क–1) पर अपने निशानी अंगूठा लगाया गया था।

इस साक्षी द्वारा **कागज संख्या अ–20** का भी उल्लेख किया गया है जोकि शामिल पत्रावली है, जोकि इस प्रकार है–

''सेवा में–
श्रीमान थानाध्यक्ष
थाना दरियाबाद, बाराबंकी।
महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी रामसनेही पुत्र स्वर्गीय राम औतार निवासी ग्राम रसूलपुर मजरे कुशहरी थाना मवई अयोध्या का मूल निवासी हूं तथा अपनी लड़की सुनदेवी की शादी लगभग 12 वर्ष पहले रसूलपुर कला थाना दरियाबाद के रामकरन उर्फ रामअधार के साथ किया था तथा मेरी लड़की के दो बच्चे एक ही उम्र 06 वर्ष तथा दूसरे डेढ़ वर्ष है। मुझे दिनांक 21.04.2022 को प्रातः 7 बजे रिश्तेदारो से जानकारी

मिली कि लड़की सुनदेवी ने गले में रस्सी से लटक कर आत्महत्या की है जिसके सम्बन्ध में मैंने श्रीमान पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी के समक्ष जाकर मुकदमा लिखाया है। मैंने जब प्रार्थनापत्र लिखाया था तो मै अपनी लड़की के मर जाने से काफी कुण्ठा और तनाव में था जिससे मैंने अपने दामाद रामकरन उर्फ रामअधार के विरूद्ध मुकदमा लिखवा दिया जबकि वह पूना में रहकर लेबर का काम करता है। साहब यह प्रार्थनापत्र मै सोच समझ कर बिना जोर दबाव के दे रहा हूं। इस मुदकमे मे मेरी लड़की को मारने में जिस व्यक्ति का हाथ हो वह जेल जाये कोई निर्दोष व्यक्ति जेल न जाये।

प्रार्थी,

रामसनेही पुत्र स्व0 रामऔतार,
ग्राम रसूलपुर मजरे कुशहरी थाना मवई
जनपद अयोध्या।
30.04.2022"

16.5 इस प्रकार इस साक्षी द्वारा प्रथम अवसर पर दी गयी तहरीर कागज संख्या अ–20 से यह भी स्पष्ट है कि अभियुक्त रामकरन उर्फ रामआधार की प्रस्तुत मामले में किसी भी प्रकार की कोई संलिप्तता नहीं है।

16.6 साक्षी पी0डब्लू–1 के उक्त साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि, यदि मृतका को मृत्यु से पूर्व कथित रूप से मारा–पीटा भी गया था तो भी वह मार पीट केवल उसके जेठ रामबरन एवं जेठानी सुशील द्वारा की गयी थी। **यहां यह उल्लेख किया जाना समीचीन होगा कि प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्त रामकरन (पति), रामबरन (जेठ) एवं जेठानी सुशीला कुमार तथा परिवार की दो अन्य महिलाओं के विरूद्ध दर्ज करायी गयी थी, किन्तु विवेचक द्वारा सम्पूर्ण विवेचना मे उन दो अज्ञात महिलाओं का नाम नही खोला गया और विवेचना के उपरान्त केस डायरी के आखिरी पर्चे**

में अभियुक्त रामबरन (जेठ) एवं सुशीला (जेठानी) की नामजदगी भी गलत पाये जाने के आधार पर उनका नाम प्रस्तुत मामले से निकाल दिया गया एवं आरोपपत्र केवल अभियुक्त रामकरन उर्फ रामआधार के विरूद्ध ही प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार साक्षी पी0डब्लू–1 के उक्त बयान से अभियुक्त रामकरन की आरोपित अपराध में संलिप्तता किसी भी भांति साबित नहीं होती है।

16.7.1 प्रस्तुत मामले में यदि पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–10 एवं उसके सन्दर्भ में साक्षी चिकित्सक पी0डब्लू–6 के बयान को देखा जाये तो इससे यह स्पष्ट होता है कि साक्षी **पी0डब्लू–6 डा0 सुबीर कुमार रोहतगी** द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट को प्रदर्श क–10 के रूप में साबित किया गया है एवं अपने सशपथ बयान में मृतका की **मृत्यु पूर्व चोटों**– में मृतका के गर्दन में एक तिरछा लाइगेचर मार्क जिसका आकार 30cmX01.00cm मौजूद होना तथा गर्दन के बायीं तरफ 02cm का गैप होना तथा लाइगेचर मार्क बायें कान से 02.50cm व दाहिनें से 06cm नीचे की ओर मौजूद होना कहा गया है। साक्षी द्वारा अपनी जिरह में यह भी कहा गया है कि, **''मृतका के शरीर पर लाइगेचर मार्क के अलावा कोई अन्य चोट नहीं थी।''**

16.7.2 इस प्रकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं इस सन्दर्भ में चिकित्सक साक्षी पी0डब्लू–6 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि, मृतका के शरीर पर उक्त लाइगेचर मार्क के अतिरिक्त कोई भी मृत्यु पूर्व चोट मौजूद नही था। अतः इस सन्दर्भ में साक्षी पी0डब्लू–1 द्वारा दिया गया यह साक्ष्य कि, घटना से पूर्व कथित फांसी से गला घोटकर मारने से पूर्व मृतका को अभियुक्तगण रामबरन (जेठ) व सुशीला देवी (जेठानी) द्वारा काफी मारा–पीटा गया था, पूर्ण रूप से मिथ्या साबित हो जाता है। साथ ही मृतका की मृत्यु कारित करने के सन्दर्भ में इस साक्षी द्वारा दिया गया सम्पूर्ण साक्ष्य पूर्ण रूप से संदिग्ध हो जाता है। इस आधार पर इस साक्षी की सत्यवादिता भी पूर्ण रूप से खण्डित हो जाती है।

17.1 प्रस्तुत मामले में अभियोजन की ओर से **पी0डब्लू–2** के रूप मे **मुन्नी देवी,** जोकि मृतका की माता है, को परिक्षित कराया गया है। इस साक्षी द्वारा अपनी पुत्री सुनदेवी मृतका की शादी, अपने बयान वर्ष 2023

से, लगभग 12–13 साल पूर्व रामकरन के साथ होना तथा शादी से दो बच्चे होना तथा उसकी पुत्री को उसके जेठ, जेठानी व पति द्वारा कम दहेज को लेकर उसे मारना–पीटना कहा गया है तथा यह बात जब उसकी पुत्री अपने मायके आती तब उसे बताना कहा गया है तथा ससुरालवालो द्वारा दहेज में मोटरसाइकिल की मांग करना कहा गया है। यहॉ यह उल्लेख किया जाना समीचीन होगा कि साक्षी पी0डब्लू–1 द्वारा अपनी तहरीर प्रदर्श क–1 में अभियुक्तगण रामकरन, रामबरन व सुशीला देवी द्वारा मृतका द्वारा अपने घर से लाये जेवरात व उपहार उन्हें दे देने को लेकर मारना–पीटना कहा गया है। इस साक्षी द्वारा अपनी जिरह में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि, ''मेरे दामाद रामकरन दो भाई हैं। दोनो का बटवारा रामकरन की शादी के चार वर्ष बाद हुआ था। अर्थात् मृतका की मृत्यु के 6 वर्ष पूर्व रामकरन व उसके भाई रामबरन के मध्य बटवारा हो चुका था। साक्षी पी0डब्लू–1 के अनुसार दोनो का चूल्हा अलग–अलग जलता था। साक्षी पी0डब्लू–2 के अनुसार, 'घटना के एक महीने पहले रामकरन पूना गये थे। उसके दामाद रामकरन ने दहेज नहीं मांगा था। जेठ, जेठानी ने दहेज मांगा था। घटना की सूचना रामकरन के बड़े भाई के साले चन्दन ने मृतका के घर आकर दी थी। उसकी लड़की की ससुरालवालो ने पुलिस को बुलाया था। इस साक्षी द्वारा यह भी कहा गया है कि मेरी लड़की के दो लड़के हैं। दोनो पति पत्नी खुश रहते थे। पति पत्नी का मतलब है मेरी लडकी व दामाद दोनो खुश रहते थे।.......मेरी बिटिया ने फॉसी लगाने के पॉच दिन पूर्व हमसे बात की थी। उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुयी थी।'

17.2 इस प्रकार साक्षी पी0डब्लू–2 द्वारा जिरह में दिये गये उक्त बयानो से यह स्पष्ट होता है कि, अभियुक्त रामकरन मृतका के मृत्यु के एक माह पूर्व से पूना मे रहकर नौकरी करता था उसके द्वारा मृतका से ना तो कोई मार–पीट की गयी और ना ही मृतका से कभी दहेज की मांग की गयी बल्कि दहेज की मांग केवल जेठ रामबरन व जेठानी सुशीला देवी द्वारा कथित रूप से की गयी। जबकि यहां यह उल्लेख किया जाना समीचीन होगा कि जेठ, जेठानी मृतका व उसके पति से उसकी मृत्यु से 6 वर्ष पूर्व से अलग रहते थे तथा दोनो का खाना पीना

अलग–अलग था। इस प्रकार साक्षी पी0डब्लू–2 के उक्त बयानो से अभियुक्त रामकरन उर्फ रामआधार के विरूद्ध ना तो धारा 498ए और ना ही धारा 306 भारतीय दंड संहिता के उक्त आरोप किसी भी भॉति साबित होते हैं।

18.1 प्रस्तुत मामले में **पी0डब्लू–4** के रूप में **अमित कुमार** को परिक्षित कराया गया है, जोकि मृतका का भाई है। इस साक्षी द्वारा अपनी **मुख्य–परीक्षा** में ही यह कथन किया गया है कि, ''मेरी बहन की ससुराल से पिताजी के पास फोन आया था कि आपकी लड़की खतम हो गई है। फिर पिताजी ने मुझे बताया था कि तुम्हारी बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे और उसे मार दिया है।'' **जिरह** में इस साक्षी द्वारा मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि, ''मेरे पिताजी को मेरी बहन द्वारा की गयी आत्महत्या की सूचना मिली थी।.....मैं जब पहुंचा तो देखा कि मेरी बहन फॉसी के फन्दे से झूल रही थी।''

घटना के समय मेरे बहनोई रामकरन उर्फ रामआधार पूना में थे।..... बहन के घर में क्या चल रहा था मुझे जानकारी नही है, क्योंकि कई महीनों पहले से मैं बम्बई में था।.......मेरी बहन की ससुरालवालो द्वारा कभी मेरी बहन से दहेज मांगने की बात मेरी जानकारी में आई और ना ही मेरी बहन व मेरे माता पिता ने बताया।''

18.2 इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि इस साक्षी को घटना से पूर्व अपनी बहन के घर में हो रही किसी भी घटना की कोई जानकारी नही थी, क्योंकि वह घटना से कई महीने पहले से बाम्बे में रहता था। पुलिस द्वारा इस साक्षी का बयान नहीं लिया गया। घटना के समय उसके बहनोई रामकरन के पूना मे होने, अपनी बहन की मृत्यु की सूचना एवं दहेज के लिए प्रताड़ित करने की बात उसे अपने पिता से ज्ञात होना बताया गया है।

18.3 इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से ना तो अभियुक्त रामकरन द्वारा मृतका से किसी प्रकार के दहेज मांगने अथवा उसे प्रताड़ित करने की बात साबित होती है और ना ही अभियुक्त रामकरन उर्फ रामआधार द्वारा मृतका को आत्महत्या के लिए दिये गये किसी दुष्प्रेरण का तथ्य ही इस साक्षी के साक्ष्य से साबित होता है।

19. इस प्रकार अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तथ्य के उक्त समस्त साक्षियों के साक्ष्य से अभियुक्त रामकरन उर्फ रामआधार द्वारा मृतका अथवा उसके परिवार से किसी भी प्रकार के दहेज मांगने की बात अथवा मृतका को प्रताड़ित करने की बात साबित नहीं होती है वरन साक्षी पी0डब्लू–1 रामसनेही व पी0डब्लू–2 मुन्नी देवी के साक्ष्य से यह साबित होता है कि, मृतका सुनदेवी अपने पति रामकरन उर्फ रामअधार के साथ काफी खुश थी। प्रस्तुत मामले में यह भी उल्लेखनीय है कि तथ्य के उक्त साक्षियों के साक्ष्य से अभियुक्त रामकरन उर्फ रामअधार द्वारा मृतका को आत्महत्या के लिए दिये गये किसी भी प्रकार के दृष्प्रेरण का तथ्य किसी भी भांति साबित नहीं होता है और ना ही कथित दुष्प्रेरण में अभियुक्त रामकरन उर्फ रामअधार की संलिप्तता ही साबित होती है। उक्त तथ्य के साक्षीगण के साक्ष्य से यह भी साबित होता है कि अभियुक्त रामकरन उर्फ रामअधार अपने परिवार के भरण–पोषण हेतु पूना मे रहकर नौकरी करता था। उसका विवाह घटना से 10–12 वर्ष पूर्व हुआ था तथा उसके दो बच्चे हैं तथा उसकी पत्नी मृतका अपने पति से काफी खुश रहती थी।

20. साक्षी पी0डब्लू–5 उपनिरीक्षक अजय कुमार पाण्डेय पंचनामा का साक्षी है। इस साक्षी द्वारा पंचनामा कागज संख्या अ–28 लगायत अ–29 शामिल पत्रावली अपने लेख व हस्ताक्षर में व उनपर बने अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त किया है। पंचनामा प्रदर्श क–4 एवं कागज संख्या–22 नमूना मोहर, कागज संख्या अ–23 चिट्ठी सी०एम०ओ०, कागज संख्या–24 चिट्ठी आर०आई०, कागज संख्या अ–26 चालान नाश, कागज संख्या अ–27 फोटो नाश क्रमशः प्रदर्श क–05, प्रदर्श क–06, प्रदर्श क–07, प्रदर्श क–08 व प्रदर्श क–09 अपने लेख हस्ताक्षर में शिनाख्त किया गया।

21. पी0डब्लू0–7 निरीक्षक सुब्बा चौहान ने अपने बयान में गिरफ्तारी प्रपत्र कागज सं०–ब 09 अपने लेख व हस्ताक्षर में शिनाख्त किया जिस पर प्रदर्श क 11 डाला गया। अभियुक्त रामकरन उर्फ रामआधार के विरुद्ध की गयी तमामी विवेचना व संकलित साक्ष्य के आधार पर धारा 498ए, 306 I.P.C. थाना दरियाबाद जिला बाराबंकी का पर्याप्त साक्ष्य पाते

हुए आरोप पत्र सं०–293/2022 दिनांकित 10.09.2022 (प्रदर्श क–12) को अपने हस्ताक्षर में शिनाख्त की।

22. पी0डब्लू0–8 उपनिरीक्षक दुर्गा प्रसाद शुक्ल ने अपने बयान में दौरान विवेचना वादी की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा–नजरी तैयार कर नक्शा नजरी कागज सं०–अ 50 (प्रदर्श क–13) अपने लेख व हस्ताक्षर में शिनाख्त की गयी तथा तमामी तफ्तीश, बयान वादी, निरीक्षण घटनास्थल, अवलोकन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर धारा–302 I.P.C. को विलोपित कर धारा–306 I.P.C. का बढ़ोत्तरी किये जाने का कथन किया।

23. इस प्रकार अभियोजन द्वारा प्रस्तुत उक्त तथ्य के साक्षियों एवं चिकित्सक साक्षी तथा अन्य औपचारिक उक्त वर्णित व विवेचित साक्ष्यों से **यह साबित नहीं होता है** कि, अभियुक्त द्वारा कभी भी मृतका को दहेज के लिये किसी भी प्रकार से प्रताड़ित किया गया, और ना ही यह साबित होता है कि मृतका द्वारा की गयी आत्महत्या अभियुक्त द्वारा दिये गये किसी दुष्प्रेरण का परिणाम थी अथवा अभियुक्त द्वारा मृतका को किसी प्रकार से आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया गया हो। इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय की उक्त वर्णित विधि व्यवस्थाओं के अनुसरण में यह न्यायालय इस निष्कर्ष की है कि, अभियोजन अपने द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों अन्तर्गत धारा 498ए, 306 भा0दं0सं0 के साथ–साथ अपने मूल कथानक को भी युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है।

24. अस्तु उक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं साक्ष्यों के विवेचन के पश्चात्, माननीय उच्चतम न्यायालय की उक्त विधि व्यवस्थाओं के अनुसरण में, यह न्यायालय इस निष्कर्ष की है कि, अभियोजन, अभियुक्त रामकरन उर्फ रामआधार पर लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–498ए व 306 भारतीय दंड संहिता को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णरूप से असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्त रामकरन उर्फ रामआधार उसके विरुद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–498ए व 306 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

तद्नुसार सत्र वाद संख्या–127/2023, मुकदमा अपराध संख्या–130/2022, थाना–दरियाबाद, जिला बाराबंकी में, अभियुक्त रामकरन उर्फ रामआधार को आरोप अन्तर्गत धारा 498ए व 306 भारतीय दंड संहिता के अपराध से दोष–मुक्त किया जाता है।

अभियुक्त रामकरन उर्फ रामआधार जमानत पर है। अभियुक्त के बन्ध–पत्र एवं जमानतनामें निरस्त किये जाते हैं तथा उसके संबंधित प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त रामकरन उर्फ रामआधार को आदेशित किया जाता है कि वह धारा– 437ए, दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुपालन में बीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू सात दिन के अन्दर निष्पादित करना सुनिश्चित करें, जो कि केवल छः माह तक बाध्यकारी रहेगा।

दिनॉक–17.07.2026

(विनय कुमार सिंह–III)
JO Code-UP 6068
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–1,बाराबंकी।

यह निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनॉकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनॉक–17.07.2026

(विनय कुमार सिंह–III)
JO Code-UP 6068
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–1,बाराबंकी।